

2

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 अगस्त 2007—भाद्र 8, शक 1929

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2007

क्र. एफ. 11-39-2005-एक-9-सू.अ.प्र.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-39-2005-एक-9, दिनांक 13 अक्टूबर 2005 जो "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 13 अक्टूबर 2005 में प्रकाशित की गई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित गुप्तचर एवं सुरक्षा एजेंसियों को, उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से अपवर्जित करती है, अर्थात्:—

- (1) विशेष शाखा (पुलिस मुख्यालय),
- (2) मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग की शाखा "सी",
- (3) सी. आई. डी. (केवल गुप्तचर एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों के लिए),
- (4) विशेष सशस्त्र बल (एस. ए. एफ.).

No. F. 11-39-2005-I-9-RTI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the Section 24 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) and in supersession of this Department's Notification No. F-11-39-2005-F-9, dated 13th October 2005 which was published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated 13th October 2005, State Government hereby excludes the following intelligence and security agencies from the application of the provisions of the said Act namely:—

- (1) Special Branch (Police Headquarter),
- (2) "C" Section of Home Department of the Government of Madhya Pradesh,
- (3) C. I. D. (Only for matters, related to intelligence and security),
- (4) Special Armed Forces (S. A. F.).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. एस. राय, सचिव.